न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण –निगरानी / 192 / 2018 | दायरा दिनांक : **13.07.2018**

विकास अधिकारी, पंचायत समिति सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्रा0प0 बीरमाना तहसील सूरतगढ़
2. सरपंच ग्रम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ़
3. **विमला देवी पत्नी सुल्तान जाति मेधवाल निवासी 7 एमसी ग्राम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ़**

–गैरनिगरानीकर्तागण

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994</u>

उपस्थितः–

1. श्री मांगीलाल, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति सूरतगढ़

:: निर्णय :: | दिनांक : 09.01.2023

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़ ने निगरानी पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत बीरमाना ने गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03 **विमला देवी पत्नी सुल्तान जाति मेधवाल निवासी 7 एमसी** के नाम से पट्टा संख्या **27** पट्टा बुक संख्या **133** दिनांक **22.05.2017** को जारी कर दिया। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03 को उक्त पट्टा जारी करवाने का अधिकार नहीं था तथा ग्राम पंचायत को भी धारा 157 (1) पंचायत राज अधिनियम के तहत उक्त पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था। पंचायती राज अधिनियम के नियम 152 के तहत उक्त भूखण्ड जरिये नीलामी ही आवंटित किया जा सकता है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज किया जावे।

निगरानीकर्ता की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगरानीकर्तागण को जरिये नोटिस तलब किया गया। निगरानीकर्ता विकास अधिकारी, पंचायत समिति सूरतगढ़ की ओर से श्री मांगीलाल, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ़ उपस्थित आये। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ता 3 को भेजे गये नोटिस विधिवत तामील होने तथा पर्याप्त सूचना होने के वाबजूद भी गैरनिगरानीकर्तागण अनुपस्थित रहे।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। श्री मांगीलाल, सहायक विकास अधिकारी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत बीरमाना द्वारा दिनांक **22.05.2017** को जारी किया गया था। ग्राम वासियों द्वारा निगरानीकर्ता के समक्ष शिकायते प्रस्तुत करने पर निगरानीकर्ता को उक्त पट्टो की जानकारी हुई। शिकायतों के भौतिक सत्यापन व जांच हेतु एक कमेटी का गठन दिनांक 23.01.2018 को किया गया था। उक्त जांच कमेटी द्वारा मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट अप्रेल 2018 में सौपी गई। उक्त रिपोर्ट से निगरानीकर्ता को जैर निगरानी पट्टा जारी होने का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ जिस पर विभागीय स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद श्रीगंगानगर को सूचना दी गई। विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने पर बिना किसी विलम्ब के निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानीकर्ता द्वारा जान बूझ कर यह निगरानी देरी से पेश नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर निगरानी पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पट्टे जारी करने की कार्यवाही में विकास अधिकारी पंचायत समिति का कोई हस्तक्षेप [illegible] नहीं होता है। जिससे यह प्रतीत होता है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति को ग्राम [illegible] द्वारा जारी किये गये पट्टों की जानकारी नहीं हो पाई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में निगरानीकर्ता ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है। [illegible] में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार [illegible] करने की बजाय गुणावगुण के [illegible] किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम [illegible] किया जाता है तथा निगरानी अन्दर मियाद शुमार की ज[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.06 17:27:05 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला क[illegible]
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

गुणावगुण पर निगरानीकर्ता की ओर से उपस्थित श्री मांगीलाल, सहायक विकास अधिकारी की एक तरफा बहस सुनी गई। श्री मांगीलाल, सहायक विकास अधिकारी ने निगरानी मीमों के तथ्यों को दौहराया एवं अतिरिक्त कथन किया कि ग्राम पंचायत वीरमाना द्वारा खाली भूखण्ड का जैर निगरानी पट्टा पंचायती राज अधिनियम की धारा 157 (1) के तहत जारी कर दिया जबकि नियमानुसार पचास वर्ष से अधिक पुराने घरों का ही पट्टा जारी किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार खुली निलामी राशि जमा ना करवाकर ग्राम पंचायत को राजस्व की हानि भी की है। उक्त पट्टा पूर्ण विधिक प्रकिया अपना कर जारी नहीं किया गया है तथा उक्त पट्टा पंजीबद्व भी नहीं करवाया गया है। अतः जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जावे।

हमने निगरानीकर्ता की बहस पर चिंतन मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 अनुसार "जहां व्यक्तियों के कब्जे में आवादी भूमि में पुराने गृह हों और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो राशि जमा करवाकर पट्टा जारी किया जा सकेगा" उक्त नियम में 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों के लिए 100/- राशि निर्धारित की गई है। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157 (1) के तहत जारी किये गये आवासीय भूमि के पट्टे की शर्त संख्या 01 अनुसार उक्त पट्टा पुराने घर पर कब्जा होने की स्थिति में या संनिर्मित किये जाने की स्थति में जारी किया जा सकता है। पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पंचायत की पत्रावली की प्रमाणित प्रति का अलवोकन करने से पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 03 को प्लाट/भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में ही, समस्त कार्यवाही कर उक्त प्लाट/भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है। उक्त प्लाट पर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03 का मकान होने संबंधी कोई दस्तावेज ग्राम पंचायत की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। हस्तगत निगरानी पत्रावली में भी गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 का विवादित प्लाट पर मकान बना होने संबंधी कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का उल्धंन कर बिना विधिक प्रकिया अपनाते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अतः जैर निगरानी पट्टा विधि विरूद्व एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत वीरमाना का पट्टा संख्या 27 दिनांक 22.05.2017 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ़ एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत वीरमाना को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ (जिला-श्रीगंगानगर)

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.06 17:27:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner